छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3772/2005

याचिकाकर्ता : भोलाराम वर्मा

बनाम

प्रतिवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

आदेश हेतु 23 मार्च, 2007

को सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्रीमान सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 3772/2005

याचिकाकर्ता : भोलाराम वर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता बिसनलाल वर्मा, निवासी ग्राम रीवागहन, तहसील व थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाताओं

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास डी.के.एस.भवन, रायपुर।
2. अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ।
3. ग्राम पंचायत, द्वारा सरपंच , ग्राम पंचायत रीवा गहन, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ जिला। राजनांदगांव।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव।
5. डालचंद वर्मा, पिता भूतराम वर्मा, निवासी ग्राम रेवागहन, तहसील व थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री पराग कोटेचा अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए ।

श्री सुशील दुबे शासकीय अधिवक्ता राज्य/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए ।

श्री विवेक वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री सतीश गुप्ता अधिवक्ता की ओर से उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 3 और 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(23 मार्च, 2007 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.05.2005 (अनुलग्नक P/2) प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 5 को ग्राम पंचायत रेवाघन, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ द्वारा दिनांक 25.06.2005 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया कि पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को पुनरीक्षण/अपील पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं को चुनौती दिया हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने 10वीं की परीक्षा में 49% अंक प्राप्त करने के बाद, ग्राम पंचायत रेवाघन में पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन किया था। अंकों के आधार पर, याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 1 पर और प्रतिवादी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 3 पर रखा गया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 को 10वीं की परीक्षा के प्रमाण पत्र में 34% अंक प्राप्त हुए थे। याचिकाकर्ता और पेखनलाल को बराबर मत प्राप्त हुए, प्रतिवादी संख्या 5, जो क्रम संख्या 5 पर था, को ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 19.04.2005 (अनुलग्नक पी/1) में नियुक्ति हेतु विचार किया गया था। तत्पश्चात उक्त प्रस्ताव को ग्राम सभा द्वारा दिनांक 16.05.2005 के

अपने प्रस्ताव (अनुलग्नक पी/2) में अनुमोदित किया गया। ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात, नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 5 को पंचायत कर्मी/सचिव के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 5 को पंचायत कर्मी/सचिव के रूप में कार्य करने की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा पारित और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के परिपालन में नियुक्ति आदेश जारी किए बिना दी गई है। दूसरा प्रतिवादी संख्या 5 को दसवीं कक्षा के परीक्षा प्रमाण पत्र में कम अंक मिले हैं। तीसरा प्रतिवादी संख्या 5 के रिश्तेदार, अर्थात् भाई, चाचा, पंचायत के उप-सरपंच और पंच चुने गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के प्रस्ताव के परिपालन में उचित आदेश जारी किए बिना किसी भी व्यक्ति को पंचायत कर्मी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

5. नोटिस तामील के बावजूद प्रतिवादी संख्या 3 और 5 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

6. यह सर्वविदित है कि किसी बैठक में लिया गया प्रस्ताव या निर्णय वह आदेश नहीं है जिस पर अमल किया जा सके। पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के अनुसरण में एक उचित आदेश होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक कामांक/पंचा./पंग्राविवि/2006/230 रायपुर दिनांक 16.03.2006 के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि पंचायत कर्मी की नियुक्ति के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा

के प्रस्ताव के बाद, सरपंच को पंचायत कर्मी की नियुक्ति के लिए उचित नियुक्ति आदेश पारित करना होगा। आगे कहा गया है कि पंचायत कर्मी के पद से हटाए जाने की स्थिति में भी, ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद, हटाने का आदेश ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया जाना है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उचित नियुक्ति आदेश जारी किए बिना कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती।

7. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 5 को ग्राम पंचायत द्वारा पारित और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर पंचायत कर्मी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। उसे पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्त करने के लिए कोई विधिक आदेश पारित नहीं किया गया है। अगले तर्क के संबंध में कि रिश्तेदार अर्थात भाई और चाचा पंचायत के उप सरपंच और सरपंच चुने जाते हैं, तो यह भी प्रतिवादी संख्या 5 को पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य बनाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दिनांक 27.05.1996 के परिपत्र में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को, जिसका निकट संबंधी शासकीय कर्मचारी हो या पंचायत राज संस्थान या स्थानीय निकाय का निर्वाचित या मनोनीत पदाधिकारी हो, को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। "रिश्तेदार" की परिभाषा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (अर्थात "अधिनियम, 1993") के प्रावधानों से ली जा सकती है। अधिनियम, 1993 में प्रयुक्त शब्द "रिश्तेदार" परिपत्र में प्रयुक्त शब्द "रिश्तेदार" को साथ समानार्थी है। "इस व्याख्या नियम के अनुप्रयोग का लाभ यह है कि एक ही विषय से संबंधित अनेक विधियों के बीच किसी भी स्पष्ट विरोधाभास से बचा जा सकता है" (श्री गुरु प्रसन्न सिंह द्वारा लिखित संविलीयन व्याख्या के सिद्धांत, दसवाँ संस्करण,

2006, पृष्ठ 278)। अधिनियम, 1993 की धारा 69 में "रिश्तेदार" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: निम्नलिखित:-

"69. 2[इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का रिश्तेदार हो, तो वह ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार नहीं संभालेगा।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार" शब्द का अर्थ पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ससुर, देवर, ननद, पुत्रवधू होगा।]"

9. अनुविभागीय अधिकारी ने अपील/पुनरीक्षण को इस आधार पर खारिज किया कि चूँकि प्रतिवादी संख्या 5 को पंचायत कर्मी नियुक्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए यह अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. परिणामस्वरूप और ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है और

प्रतिवादी संख्या 5 का उचित नियुक्ति आदेश जारी किए बिना पंचायत कर्मी का कार्य लेने का निर्णय अनुचित हैं इसलिए इसे अभिखंडित किया माना जाता हैं। व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा हैं।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश